13111

08/05/2026

–प्रकरण प्रस्तुत।
–प्रकरण का अवलोकन किया।
–आवेदक सुनील कुमार राजवाड़े पिता रामगुलाल, निवासी– कनकी, तहसील–बरपाली जिला –कोरबा, छ.ग. के नाम पर शामिलत खाते की भूमि ग्राम– कनकी, प.ह.नं. 03, तहसील– बरपाली में ख.नं. – 1287 रकबा 0.020 हे. भूमि स्थित है। उक्त खसरे की भूमि पर 01 नग अंजान वृक्ष स्थित है, जिसे काटने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर कोरबा की ओर प्रस्तुत किया गया, जिसका जनदर्शन टोकन क्रमांक 2025126001187 दिनांक 06/04/2026 दर्ज है। जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
– आवेदित वृक्ष को काटने के संबंध में वन विभाग एवं राजस्व विभाग से जॉच प्रतिवेदन लिया गया।
– वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र करतला, वनमण्डल कोरबा, जिला–कोरबा, छ.ग. के पत्र क्रमाक/772 करतला, दिनांक 08/04/2026 के अनुसार संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि ग्राम– कनकी स्थित ख.नं. 1287 रकबा 0.020 हे. भूमि स्थित है। उक्त वृक्ष की गोलाई 240 से.मी. है एवं वृक्ष आवेदन के घर के बीचो–बीच स्थित है वृक्ष में प्रतिवर्ष 15 जून से 15 नवंबर के बीच प्रवासी पक्षी एशियन ओपन बिल स्टार्क (घोंघिला) पक्षी अस्थाई निवास कर घोंसला बनाकर अण्डे देते है। वृक्ष को काटने की अनुमति देने से उक्त पक्षियों का रहवास स्थल नष्ट हो जायेगा। पर्यावरण की दृष्टि से उक्त प्रवासी पक्षियों की निवास स्थल को देखते हुए 01 नग वृक्ष को काटने की अनुमति देना संभव नहीं होना उल्लेखित किया गया है।
– अतः वन विभाग एवं राजस्व विभाग के प्रतिवेदन में सहमत होते हुए, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र करतला, वनमण्डल कोरबा, जिला–कोरबा, छ.ग. के पत्र क्रमाक/772 करतला, सहमत होते हुए दिनांक 08/04/2026 के अनुसार संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि ग्राम– कनकी स्थित ख.नं. 1287 रकबा 0.020 हे. भूमि स्थित है। उक्त वृक्ष की गोलाई 240 से.मी. है एवं वृक्ष आवेदन के घर के बीचो–बीच स्थित है वृक्ष में प्रतिवर्ष 15 जून से 15 नवंबर के बीच प्रवासी पक्षी एशियन ओपन बिल स्टार्क (घोंघिला) पक्षी अस्थाई निवास कर घोंसला बनाकर अण्डे देते है। वृक्ष को काटने की अनुमति देने से उक्त पक्षियों का रहवास

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.)

स्थल नष्ट हो जायेगा। पर्यावरण की दृष्टि से उक्त प्रवासी पक्षियों की निवास स्थल को देखते हुए 01 नग वृक्ष को काटने की अनुमति देना संभव नहीं है।

– अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा, छ0ग0.